

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए

7/3/18 ककुलार फरिक्कन उपस्थित।
तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई
जो शामिल की गई। पचावली
वास्तु बहस दिनांक 9/3/18 को
पेश हो। (ल)

[Signature]
प्रतिवादी रु. 14 की
ओर से
[Signature]
वास्तुगणकी शरीर

9/3/18 ककुलार फरिक्कन उपण बहस
सुनी गई। पचावली वास्तु निर्णय
दिनांक 26/3/18 को पेश हो। (ल)

26/3/18

वकील उन्मत्त उपण समझाव के कारण
निवेदन ही लिखवाया जा सका पचावली
वास्ते निर्णय दिनांक 4-4-18 को पेश
हो। (ल)

4/4/18 पचावली फरिक्कन उपण बहस के
निमित्त उप पचावली फरिक्कन की शरीर
से निवेदन जाकर आदेश मिलने
के कारण पचावली फरिक्कन उपण
हो। नम्बर 4/4/18 को पेश हो। (ल)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ़।
पीतासीन अधिकारी का नाम:-सुरेन्द्र पुरोहित (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या:-353/2017

1. रतन कौर पत्नी प्यारा सिंह जाति कम्बोजसिख साकिन फतेहपुर तह.संगरिया 2.
जगतार सिंह पुत्र श्री छिन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख साकिन ढालिया तहसील व जिला
हनुमानगढ़ 3. अवतार सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख साकिन ढालिया
तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-----वादीगण

बनाम

1.करनैल सिंह पुत्र श्री बन्तासिंह 2. छिन्द्र सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति कम्बोजसिख
निवासी ढालिया तहसील हनुमानगढ़ 3. मोहम्मद सफी पुत्र गुलाम रसुल 4. अब्दुल
मलिक पुत्र ईल्मदीन अकवाम मुसलमान निवासी ढालिया तहसील हनुमानगढ़ 5. भूपेन्द्र
सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील हनुमानगढ़ 6.
अब्दुल सलाम पुत्र युसुफ 7. अब्दुल करीम पुत्र युसुफ 8. रसीद अहमद पुत्र फजलदीन
9.मोहम्मद खान पुत्र मोहम्मद मुराद 10. मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद मुराद 11.
रमजान मोहम्मद पुत्र फजलदीन 12. मकबुल पुत्र गुलाम मोहम्मद 13. गुलाम रसुल पुत्र
गुलाम मोहम्मद अकवाम मुसलमान निवासी ढालिया तहसील हनुमानगढ़ 14. रमेश
कुमार पुत्र बृजलाल जाति अग्रवाल निवासी दुकान नम्बर 226-ए, नई धान मण्डी,
हनुमानगढ़ जं. 15. तहसीलदार(राजस्व) हनुमानगढ़।

-----प्रतिवादीगण

उपस्थित:-श्री खु प्रीत सिंह सन्धू एडवोकेट—वादीगण


श्री अजयवीर सिंह मान, एडवोकेट—प्रतिवादी संख्या 14

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक:- 4.4.18

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से खाता
विभाजन का वाद पत्र पे 1 होने पर वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 14 का
काउण्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.01.2018 को किया जाकर तहसीलदार भू.अ.
हनुमानगढ़ को कमि नर नियुक्त कर प्र अनगत आराजी चक 38 एन जी सी खाता
संख्या 23/24 खाता करनैल सिंह वगैरा जमाबंदी संवत 2072-75 में कुल 1.138
हैक्टर में वादी संख्या 2 व 3 के नाम 0.253 है. प्रत्येक व चक 37 एन जी सी खाता
संख्या 67/56 जमाबन्दी संवत 2071-74, खाता युसुफ आदि में कुल 12.067 है. में
वादी संख्या 2 व 3 के नाम 0.758 हैक्टर व वादीया संख्या 1 के नाम 1.012 है. व


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी संख्या 14 के नाम 0.279 है. हक हिस्सा की कृषि भूमि की हद तक खाता विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे।

तहसीलदार(भू.अ.)हनुमानगढ़ के पत्र कंमाक 1137 दिनांक 6.3.2018 से खाता विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त होने पर भागिल पत्रावली किये गये व खाता विभाजन प्रस्ताव पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमारे द्वारा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तत्प चात मेरे विनम्र मतानुसार तहसीलदार (भू.अ.)हनुमानगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 14 का काउण्टर क्लेम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 14 का काउण्टर क्लेम डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 14 का काउण्टर क्लेम तहसीलदार भू. अ. हनुमानगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में -निम्न अनुसार वादीगण व प्रवतवादी संख्या 14 का खाता अलग-अलग कायम कर रकमराज अलग कायम की जावे:-

1-वादियां संख्या 1 रतनकौर पत्नी प्यारासिंह जाति कम्बोज सिख साकिन फतेहपुर तहसील संगरिया का हक हिस्सा:-

चक 37 एन जी सी खाता संख्या 67/56 संवत् 2074-74 में कुल आराजी 12.067 है. में से प.न. 156/247 मु.न. 4 किला नम्बर 6/0.139, 7/0.240, 8/0.063, 13/0.064, 14/0.253. व 15/0.228 मय खाला 0.025 कुल 1.012 है.

2-वादी संख्या 2 व 3 श्री जगतार सिंह व अवतार सिंह पि. श्री छिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख साकिन ढालिया का हिस्सा ब.हि.ब. :-


चक 38 एन जी सी खाता संख्या 23/24 कुल आराजी 1.138 है. में से प.न. 155/251 मु.न.20 किला नम्बर 17/0.253 है., नहरी प.न. 158/254 मु.न. 30 किला नम्बर 1,2,10/0.759 है. नाली प्रथम कुल 1.012 है.

3-प्रतिवादी संख्या 14 श्री रमेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति अग्रवाल साकिन हनुमानगढ़ का हक हिस्सा:-

चक 37 एन जी सी खाता संख्या 67/56 में कुल आराजी 12.067 में से प.न. 158/253 मु.न. 26 किला नम्बर 11/0.026, 12/0.253 है. कुल 0.279 है. नाली प्रथम

यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अमल दरामद किया जावे। खाता विभाजन स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर पर्चा अंतिम डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 4.4.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

प्राथमिक डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), हनुमानगढ

बर्इजलास :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)


अनुवान :-

1. रतन कौर पत्नि प्यारा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. जगतार सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. अवतार सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: वादीगण

बनाम

1. करनैल सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. छिन्द्र सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. मोहम्मद सफी पुत्र गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. अब्दुल मलिक पुत्र ईल्मदीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
5. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
6. अब्दुल सलाम पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
7. अब्दुल करीम पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
8. रसीद अहमद पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
9. मोहम्मद खान पुत्र मोहम्मद मुराद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
10. मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद मुराद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)


प्राथमिक डिक्री
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

11. रमजान मोहम्मद पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
12. मकबुल पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
13. गुलाम रसुल पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
14. रमेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति अग्रवाल निवासी दुकान नम्बर 226-ए, नई धान मण्डी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
15. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)


—: प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 353, सन् 2017

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझे सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री खुशप्रीत सिंह सन्धू एडवोकेट व श्री अजयवीर मान-अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14, उपस्थित की वाद वादीगण व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 14 प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि चक 38 एनजीसी, खाता संख्या 23/24 खाता करनैल सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में कुल 1.138 हैक्टेयर में वादी संख्या 2 व 3 के नाम 0.253 हैक्टेयर प्रत्येक व चक 37 एन.जी.सी., खाता संख्या 67/56, जमाबन्दी सम्वत 2071-74, खाता युसफ आदि मे कुल 12.067 हैक्टेयर में वादी संख्या 2 व 3 के नाम 0.758 हैक्टेयर व वादीया संख्या 1 के नाम 1.012 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 14 के नाम 0.279 हैक्टेयर भूमि पर तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14 की राजस्व रिकार्ड की जांच कर उनके हक व हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि व कब्जा काश्त के हिसाब से राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए खाता विभाजन किये जाने हेतु तलबी तकसीम की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस 200 रुपये तैय की जाती है जो वादीगण अदा करेगें।

व्यय वाद उपभपक्ष वादीगण व प्रतिवादीगण स्वयं अपना-अपना वहन करेगे। आज दिनांक १६/०४/२०१८ को यह प्राथमिक डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


सहायक कलैक्टर एंवम
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
हनुमानगढ